कार्यालय नगर पंचायत भखारा, जिला–धमतरी (छ.ग.)

फोन नं. 07705–296755 Email – cmobhakhara.613@rediffmail.com

क्रमांक / 01 /भवन अनु./न.पं./2026–27 भखारा, दिनांक 15/07/2026

कॉलोनी के विकास की अनुमति

प्ररूप–नौ

(नियम 11)

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956/छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्ते) नियम 2013 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए श्री/श्रीमती/मेसर्स **महालक्ष्मी इन्फ्रा पार्टनर श्री मनीष कुमार जैन आत्मज श्री नवरतन जैन एवं अन्य पता – वार्ड नं. 09 अभनपुर पो. थाना व तहसील अभनपुर जिला रायपुर** का वार्ड क. 03 भखारा, तहसील–भखारा जिला–धमतरी स्थित खसरा नं. 15001 रकबा 4.510 हे. एवं खसरा नं. 741/4 रकबा 0.097 हे. कुल रकबा 4.607 हे. में आवासीय कॉलोनी हेतु प्रस्तुत प्राक्कलन व ले–आउट अनुसार विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा।
2. छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत भू–व्यपवर्तन की शर्तों का पालन करना होगा।
3. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेष अधिनियम, 1973 के अंतर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये भूखंडों/भवनों का विकास/निर्माण, प्रथमतः करना होगा।

15.7.26

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत भखारा

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत भखारा

Scanned with OKEN Scanner